

संक्षिप्त

खेल सप्ताह 8 जनवरी से

लालसोटा। उपखंड मुख्यालय पर खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में सर्वांगीण विकास करने, उनमें आत्म विश्वास बढ़ाने और टीम स्पोर्ट की भावना विकसित करने के उद्देश्य से राजकीय कन्या महाविद्यालय लालसोटा में खेल सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर सुभाष पहाड़िया ने बताया की दिनांक 8 जनवरी से 13 जनवरी तक विभिन्न आउटडोर तथा इंडोर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को कम से कम एक खेल गतिविधि में भाग लेना आवश्यक होगा तथा अधिकतम एक विद्यार्थी तीन खेलों में भाग ले सकता है। प्रोफेसर सुभाष पहाड़िया ने बताया की महाविद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता वार सर्वश्रेष्ठ विजेता को जिला स्तर संभागा स्तर विश्वविद्यालय स्तर या राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली खेलकूद प्रतियोगिताओं में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त होगा।

तीन जेब कतरं पकड़े

मालपुरा (निस)। गुरुवार को मालपुरा विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के स्वागत सत्कार में उमड़ी भीड़ में चुसे तीन जेब कतरों को आमजन ने पकड़ किया पुलिस के हवाले। पुलिस उपाधिकक्षक चक्रवर्ती सिंह राठोड़ ने बताया कि भीड़ में चुसे जयपुर निवासी तीन जेब कतरें तकरीबन आधा दर्जन लोगों की जेब काटने की जानकारी मिलने पर पुलिस के जवानों ने भीड़ में शामिल जेब कतरों की पहचान का सच अभियान चलाया।

कलेक्टर का अभिनंदन किया

कोटपुतली। अभिभाषक संघ कोटपुतली ने अध्यक्ष एड. दयाराम गुर्जर के नेतृत्व में गुरुवार को कोटपुतली-बहरोड़ जिला कलेक्टर आईएसएस शुभम चौधरी का गुलदस्ता भेंटकर स्वागत व अभिनंदन किया। साथ ही नववर्ष की शुभकामनायें भी प्रेषित की। अध्यक्ष एड. दयाराम गुर्जर ने जिला कलेक्टर को बार की समस्याओं से अवगत कराया।

‘विद्यार्थी धैर्य के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे’

कोटपुतली। यहाँ के राजकीय एलबीएस पी.जी. महाविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा स्नातकोत्तर पूर्वाह्न एवं उत्तरार्द्ध के नियमित विद्यार्थियों के लिए आमुखीकरण एवं कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र सिंह ने विद्यार्थियों को अर्थ का महत्व बताते हुए धैर्य के साथ अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि व्यवस्थित जोखिम के साथ अर्थ बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष नीरू ने व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से अर्थशास्त्र विषय की प्रासंगिकता के बारे में विस्तार से बताते हुए विद्यार्थियों को गहन अध्ययन के लिए प्रेरित किया।

कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित

अर्थशास्त्र विषय के सहायक आचार्य डॉ. गजराज सिंह ने संचालन करते हुए स्नातक एवं स्नातकोत्तर के बाद विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र विषय के साथ स्नातक करने के उपरांत संगणक, कंपाइलर, सांख्यिकी अन्वेषक, सार्वजनिक व निजी बैंक एवं अध्यापन के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा में विषय ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं। स्नातकोत्तर के उपरांत सांख्यिकी अधिकारी, सहायक

सांख्यिकी अधिकारी, मूल्यांकन अधिकारी, अनुसंधान सहायक, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में सहायक आचार्य, विद्यालयों में व्याख्याता, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। डॉ. गजराज सिंह ने पाठ्यक्रम, प्रश्न पत्रों, उत्तर लेखन, विषय से संबंधित ऑनलाईन पुस्तकों की उपलब्धता, ई-कंटेंट, अर्थशास्त्र विभाग के यूट्यूब चैनल के संबंध में जानकारी दी। नेट, सेट की तैयारी एवं परीक्षा फॉर्म भरते समय सावधानियों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया।

ग्रामीणों ने जनसुनवाई का किया बहिष्कार



लालसोटा के लाडपुरा में जनसुनवाई में अधिकारी कर्मचारी नहीं होने पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया।

लालसोटा। प्रदेश में भले ही नई सरकार बनी हो एवं नई सरकार ने शासन प्रशासन को चुस्त दुरुस्त होकर लोगों तक सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने के साथ नियमित जनसुनवाई करने के निर्देश दिए हो लेकिन अभी भी

‘सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने के साथ नियमित जनसुनवाई की जाये’

सुंदरकांड की चौपाईयां गूंजी

कोटपुतली। कल्पे के निकटवर्ती ग्राम शुक्लाबास के श्री सुखदेव गौशाला में बुधवार रात्रि को गौभक्तों के द्वारा गौरक्षार्थ संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान श्री बालाजी सुंदरकांड पाठ सेवा समिति के संयोजक ओमप्रकाश जांगिड और उनकी टीम द्वारा गर्दया दुखयारी कहे बात ये रोते रोते, श्याम तेरी गर्दया दुख पा रही, पापियों के पाप धोते धोते, भजन सुनाकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। अंत में श्री बालाजी की आरती उतारकर प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर अशोक जोशी, महेंद्र यादव, कृष्ण, मायाराम गुर्जर, दिनेश गुर्जर, बलबीर यादव, लालाराम यादव, यादराम गुर्जर, महेंद्र गुर्जर, गिरवर सिंह, धर्मपाल यादव, मालाराम सैन, राहुल सोनी, लालचंद जांगिड, संजय जोशी, गुड्डू सिंह, प्रशांत भारद्वाज, महेश जांगिड समेत ग्रामीण उपस्थित रहे।

भगवान जगन्नाथ का वार्षिकोत्सव समारोह हुआ

कोटपुतली। नारेहडा-पावटा मार्ग से करीब 02 किलोमीटर पश्चिम दिशा में पहाड़ियों के बीच स्थित ग्राम पुरुषोत्तमपुरा के प्राचीन भगवान श्री जगन्नाथ का गुरुवार को वार्षिकोत्सव समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर विशाल मेले एवं भण्डारे का आयोजन हुआ। मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने भगवान श्री जगन्नाथ के प्रसाद चढाकर धोक लगाई व मन्तवें मांगी। इस मौके पर मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया।

मेले में लगी स्टालों पर महिला पुरुषों और बच्चों ने जरूरतमंद सामान की खरीदारी की। प्रातः 09 बजे कड़ी बाजरे की प्रसादी का सबसे पहले भगवान श्री जगन्नाथ की प्रतिमा को भोग लगाया गया जिसके बाद प्रसादी दिन भर मेले में आने वाले भक्तों की वितरित की गई। इस बार मेला कमेटी की ओर से प्रसादी ग्रहण करने वाले

भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। वहीं मंदिर परिसर वाले पूरे रास्ते में पहाड़ियों में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मेले वाली रात को सत्संग का आयोजन किया गया। जिसमें दूरदराज से आये प्रख्यात भजन गायकों ने भगवान जगन्नाथ की कविता का गुणगान किया। इस मौके पर पूर्व जिला पार्षद धृष्टसिंह शेखावत, पावटा प्रधान प्रतिनिधि जगन चौधरी, नरेश कुमार मित्तल, दिलीप मित्तल, डॉ. अरविन्द मित्तल, शशी मित्तल समेत लाखों श्रद्धालुओं ने भगवान श्री जगन्नाथ के धोक लगाई।

धाम का इतिहास : इस धाम के पीछे केशवदास नाम के एक शिष्य को अटूट आस्था से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी है। बताया जाता है कि गांव में हजारों वर्ष पहले केशवदास नाम का एक भक्त हर वर्ष उड़ीसा के जगन्नाथ प्रतिष्ठत जगन्नाथ धाम के दर्शन करने पैदल यात्रा करता था। उसकी जगन्नाथपुरी जाकर आने में करीब छह माह लगते थे। वक्त बीतने के साथ ही भक्त केशवदास बूढ़ हो गया। एक रोज केशवदास रास्ते में थक कर बैठ गया। तभी भगवान जगन्नाथ ने भक्त की लम्बी तपस्या से खुश होकर दर्शन दिए और कहा कि भक्त तैरे गांव के नजदीक पुरुषोत्तमपुरा गांव में एक अखेबड नाम का पर्वत है। इस पर्वत से एक पत्थर की शिला टूटकर नीचे आएगी। जिसे मेरा स्वरूप मानकर पूजा करना तभी से हर साल इस गांव में पौष माह कृष्ण पक्ष की नवमी को भगवान जगन्नाथ के वार्षिकोत्सव पर मेला भरता आ रहा है।

नव मतदाता सम्मान के लिए प्रभारी बनाए

रामगढ़ पंचवारा। विधानसभा लालसोटा में नव मतदाता सम्मेलन सम्मान एवं सम्पर्क अभियान को लेकर संयोजक आदि की नियुक्ति की गई है। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी व भाजयुमो राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष अंकित गुर्जर देयाल शर्मा की अनुपस्थिति पर पूर्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर संयोजक रतीराम राहुवास को विधानसभा लालसोटा के नव मतदाता सम्मेलन सम्मान एवं सम्पर्क अभियान का विधानसभा संयोजक बनाया गया है वहीं दीपक बोहरा को संयोजक द्वितीय नियुक्त किया है। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं सहित विधायक रामबिलास डंगरपुरा ने नव नियुक्त संयोजकों को बधाई दी। भाजपा मीडिया प्रभारी मोतीलाल शाहजहानपुरा ने बताया कि संगठन को और मजबूती के लिए युवाओं को मौका दिया जा रहा है युवाओं में जोश उमंग के साथ नव मतदाताओं को जागरूक मतदाता सम्मेलन आयोजित किया जायेगा महाअभियान को गति प्रदान करने के उद्देश्य से विधानसभा संयोजकों की नियुक्ति की गई है। इस अवसर पर राहुवास भाजपा मंडल अध्यक्ष भंवरसिंह झुपडिया प्रमोदराज शर्मा हेमराज मुंजपुरिया रोशन सीरॉ हामावास राजेश सहित अन्य युवाओं ने खुशी जताई।

सार-समाचार

संकल्प यात्रा की समीक्षा की



दूदू। जिला कलेक्टर कार्यालय कक्ष में जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला के विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रगति कार्यों की समीक्षा बैठक लेकर स्वरोचारा योजना में पात्र परिवारों का पंजीकरण कर लाभान्वित करने के निर्देश दिए बैठक में शुक्ला ने पीपीटी के माध्यम से विभाग बार सभी योजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री विश्वकर्म योजना के तहत चिन्हित 18 प्रकार के पारंपरिक व्यवसायों जुड़े परिवारों का रोजगार के लिए पंजीकरण करने को कहा गया साथ ही विभागीय अधिकारियों को शिविरों में पहुंच कर मॉनिटरिंग करने एवं पैडिंग प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए शुक्ला ने कहा कि आम जनता तक इन योजना के लाभ से कोई वंचित नहीं रहे पाए यह हमारा दायित्व है इस कार्यक्रम में अधिकारी जनप्रतिनिधि एवं आमजन को जागरूक रहकर लाभान्वित करना हमारा दायित्व है।

गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी

दूदू। उपखंड अधिकारी कार्यालय सभागार में जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की। बैठक में आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी पर चर्चा की गई। शुक्ला ने जिला स्तरीय समारोह को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए विभाग अधिकारियों को व्यवस्था के निर्देश दिए जाकर घूमघूम से मनाने के लिए निर्देशित किया गया इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दशरथ सिंह अतिरिक्त मुख्य जिला कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद विजय सिंह चौहान उपखंड अधिकारी युगारत शर्मा विकास अधिकारी राजेश्वरी यादव नगर परिषद आयुक्त शिकष काकरिया जिला शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार सिंघल एवं निजी शिक्षण संस्थानों के संचालक व जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

शहीद के सम्मान में निकालेंगे तिरंगा रैली

पावटा। क्षेत्र के ग्राम चौवाला भांकारी निवासी शहीद सुबेसिंह की पुण्यतिथि पर शहीद के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शहीद सुबेसिंह संघर्ष समिति के नेतृत्व में 6 जवरवी को विधायक कुलदीप धनकड के मु्य आतिथ्य क्षेत्र में तिरंगा रैली निकाली जाएगी।

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) चौमूँ (जयपुर)

क्रमांक-696/709 दिनांक-04.01.2024

**नीलामी बोली सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस मण्डी समिति के मुख्य मंडी प्रांगण (अनाज) चौमूँ में जलपान व्यवस्था करवाने हेतु जलपान किबोर्क संख्या-01 तथा जलपान ठेला स्थान संख्या 2.3 व 4 को आगामी एक वृत्त की अवधि के लिये ठेके में देने हेतु दिनांक 11.01.2024 को दोपहर 1.00 बजे नीलामी बोली आयोजित की जावेगी। इच्छुक फर्म/व्यक्ति दिनांक 11.01.2024 को प्रात 11.30 बजे तक बोली प्रत्र अपेक्षित प्रतियां कर कार्यालय में 10.000 रु. बतौर धरोहर राशि सहित जमा करावा सकते हैं। नीलामी की अन्य जानकारी एवं शर्त किस्सी भी कार्यदिक्ता में कार्यालय समय में कार्यालय में उपस्थित होकर तथा बोली प्रत्र में और वेबसाइट [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) व विभागीय पोर्टल [agriculture.rajasthan.gov.in/mandi/](http://agriculture.rajasthan.gov.in/mandi/) पर अवलोकन की जा सकती है।

**NIB-DAM2324A0352**

प्रशासक सचिव

**ऋण वसूली प्राधीकरण**

पहली मंजिल, सुधर्मा 11, लाल कौंठी शांति सेंटर, टॉक रोड, जयपुर-302015  
केस नं. ओए/1287/2023  
एक्ट के संवर्धन 19 के सब संवर्धन (4) ऋण वसूली प्राधीकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के साथ पठित के तहत सम्मन

ईंयसचध. नं. 10983

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि.  
बनाम  
मै. कनिष्का बुटिक एण्ड साड़ी

प्रेषित.  
1. मै. कनिष्का बुटिक एण्ड साड़ी द्वारा प्रोपराइटर कार्यालय जी-1, प्लाट नं. 464, गली नं. 4, राजा पार्क, जयपुर, राजस्थान-302004  
2. श्री अजय अग्रवाल निवासी जी-4, प्लाट नं. 464, गली नं. 4, राजा पार्क, जयपुर, राजस्थान-302004  
3. श्रीमती नूपुर अग्रवाल पत्नी श्री जय अग्रवाल निवासी जी-1, प्लाट नं. 464, गली नं. 4, राजा पार्क, जयपुर, राजस्थान-302004

सम्मन

जैसा कि, ओए/1287/2023 माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष 10.10.2023 को सूचिबद्ध था, जैसा कि, यह माननीय प्राधीकरण आपके खिलाफ रु. 3962374.77/- (आवेदन तथा दस्तावेजों की प्रतियां आदि संसन्) के ऋण की वसूली के लिये, एक्ट के संवर्धन 19(4) के तहत दायर अटक आवेदन (ओ.ए.) पर सम्मन / नोटिस जारी करता है। एक्ट के संवर्धन 19 के सब संवर्धन (4) के अनुसार, आप प्रतियोगी को निम्न अनुबद्ध निर्देशित किया जाता है।

(1) सम्मन प्राप्त होने के तीस दिन में कारण बताये कि प्रार्थना की गयी राहत क्यों नहीं दी जाये।  
(2) आवेदक द्वारा मूल आवेदन में क्रम संख्या 3ए के तहत वर्णित सम्प्रतियों तथा परिसम्प्रतियों के अतिरिक्त अन्य सम्प्रतियों अथवा परिसम्प्रतियों के विवरण प्रकट करें।  
(3) सम्प्रतियों की कुर्की के लिये किये गये आवेदन की सुनवाई तथा निस्तारण के लियत रहते सिक्वोर्ड सम्प्रतियों अथवा मूल आवेदन में क्रम संख्या 3ए के तहत वर्णित अन्य परिसम्प्रतियों तथा सम्प्रतियों का लेन-देन अथवा विक्री करने से आप प्रतिबन्धित हैं।  
(4) किसी भी परिसम्प्रति जिन पर सिक्वोर्ड हित बन चुका है, तथा/अथवा मूल आवेदन में क्रम संख्या 3ए के तहत वर्णित अथवा प्रकट अन्य परिसम्प्रतियों तथा सम्प्रतियों को आप व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के अलावा, विक्री, लीज अथवा अन्य प्रकार से प्राधीकरण की पूर्व अनुमति के बिना, ट्रांसफर नहीं करेंगे।  
(5) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में सिक्वोर्ड परिसम्प्रतियों अथवा अन्य परिसम्प्रतियों तथा सम्प्रतियों विक्री के लिये तथा ऐसी विक्री राशी को ऐसी परिसम्प्रतियों पर सिक्वोर्ड हित रखने वाले बैंक अथवा वित्तीय संस्थान के खाते में जमा करने के लिये आप उत्तरदायी होंगे।  
(6) आपको निर्देशित किया जाता है कि लिखित जवाब दायर करें व उसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध करें तथा रजिस्ट्रार के समक्ष 24.03.2024 को प्रातः 10.30 बजे उपस्थित हों, अन्यथा आवेदन आपकी अनुपस्थिति में चुना जायेगा व निर्णय किया जायेगा।  
इस प्राधीकरण की सील तथा मेरे द्वारा इस तिथि 06.12.2023 को जारी किया गया।

रजिस्ट्रार  
ऋण वसूली प्राधीकरण, जयपुर

**ऋण वसूली प्राधीकरण**

पहली मंजिल, सुधर्मा 11, लाल कौंठी शांति सेंटर, टॉक रोड, जयपुर-302015  
केस नं. ओए/1142/2023  
एक्ट के संवर्धन 19 के सब संवर्धन (4) ऋण वसूली प्राधीकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के साथ पठित के तहत सम्मन

ईंयसचध. नं. 10972

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि.  
बनाम  
मै. गोपाल पेपर कारपोरेशन

प्रेषित.  
1. मै. गोपाल पेपर कारपोरेशन द्वारा पार्टनर, कार्यालय 109, कृष्णा स्वयंसेवक, सुभाष नगर, शांति सेंटर, शाही नगर, जयपुर, राजस्थान-302016  
2. श्री मोहन लाल गोयल पुत्र श्री द्वाराक राम गोयल निवासी प्लेट नं. 103, कृष्ण कृपा-1, सुभाष नगर, शाही नगर, जयपुर, राजस्थान-302016  
3. श्री श्रीराम गोयल पुत्र श्री मोहन लाल गोयल, निवासी प्लेट 201/ए-34, रांका पैदाइश 9, गोपाल हास्पिटल के सामने, शाही नगर, जयपुर, राजस्थान-302016

सम्मन

जैसा कि, ओए/1142/2023 माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष 06.10.2023 को सूचिबद्ध था, जैसा कि, यह माननीय प्राधीकरण आपके खिलाफ रु. 13183218.94/- (आवेदन तथा दस्तावेजों की प्रतियां आदि संसन्) के ऋण की वसूली के लिये, एक्ट के संवर्धन 19(4) के तहत दायर अटक आवेदन (ओ.ए.) पर सम्मन / नोटिस जारी करता है। एक्ट के संवर्धन 19 के सब संवर्धन (4) के अनुसार, आप प्रतियोगी को निम्न अनुबद्ध निर्देशित किया जाता है।

(1) सम्मन प्राप्त होने के तीस दिन में कारण बताये कि प्रार्थना की गयी राहत क्यों नहीं दी जाये।  
(2) आवेदक द्वारा मूल आवेदन में क्रम संख्या 3ए के तहत वर्णित सम्प्रतियों तथा परिसम्प्रतियों के अतिरिक्त अन्य सम्प्रतियों अथवा परिसम्प्रतियों के विवरण प्रकट करें।  
(3) सम्प्रतियों की कुर्की के लिये किये गये आवेदन की सुनवाई तथा निस्तारण के लियत रहते सिक्वोर्ड सम्प्रतियों अथवा मूल आवेदन में क्रम संख्या 3ए के तहत वर्णित अन्य परिसम्प्रतियों तथा सम्प्रतियों का लेन-देन अथवा विक्री करने से आप प्रतिबन्धित हैं।  
(4) किसी भी परिसम्प्रति जिन पर सिक्वोर्ड हित बन चुका है, तथा/अथवा मूल आवेदन में क्रम संख्या 3ए के तहत वर्णित अथवा प्रकट अन्य परिसम्प्रतियों तथा सम्प्रतियों को आप व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के अलावा, विक्री, लीज अथवा अन्य प्रकार से प्राधीकरण की पूर्व अनुमति के बिना, ट्रांसफर नहीं करेंगे।  
(5) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में सिक्वोर्ड परिसम्प्रतियों अथवा अन्य परिसम्प्रतियों तथा सम्प्रतियों विक्री के लिये तथा ऐसी विक्री राशी को ऐसी परिसम्प्रतियों पर सिक्वोर्ड हित रखने वाले बैंक अथवा वित्तीय संस्थान के खाते में जमा करने के लिये आप उत्तरदायी होंगे।  
(6) आपको निर्देशित किया जाता है कि लिखित जवाब दायर करें व उसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध करें तथा रजिस्ट्रार के समक्ष 24.03.2024 को प्रातः 10.30 बजे उपस्थित हों, अन्यथा आवेदन आपकी अनुपस्थिति में चुना जायेगा व निर्णय किया जायेगा।  
इस प्राधीकरण की सील तथा मेरे द्वारा इस तिथि 05.12.2023 को जारी किया गया।

रजिस्ट्रार  
ऋण वसूली प्राधीकरण, जयपुर

**ऋण वसूली प्राधीकरण**

पहली मंजिल, सुधर्मा 11, लाल कौंठी शांति सेंटर, टॉक रोड, जयपुर-302015  
केस नं. ओए/1285/2023  
एक्ट के संवर्धन 19 के सब संवर्धन (4) ऋण वसूली प्राधीकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के साथ पठित के तहत सम्मन

ईंयसचध. नं. 10974

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि.  
बनाम  
सुशी मेडिकल एजेंसीज

प्रेषित.  
1. सुशी मेडिकल एजेंसीज द्वारा प्रोपराइटर, कार्यालय 5, मेदी नगर, सुशीलपुरा वार्ड नं. 4 सोडाला, जयपुर, राजस्थान-302019  
2. श्री विकास खंडेलवाल आर/05, मेदी नगर, सुशीलपुरा, वार्ड नं. 4 सोडाला जयपुर, राजस्थान-302019  
3. श्रीमती सुनीता खंडेलवाल, पति श्री विकास खंडेलवाल आर/05, मेदी नगर, सुशीलपुरा, वार्ड नं. 4 सोडाला, जयपुर, राजस्थान-302019

सम्मन

जैसा कि, ओए/1285/2023 माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष 10.10.2023 को सूचिबद्ध था, जैसा कि, यह माननीय प्राधीकरण आपके खिलाफ रु. 378154.47/- (आवेदन तथा दस्तावेजों की प्रतियां आदि संसन्) के ऋण की वसूली के लिये, एक्ट के संवर्धन 19(4) के तहत दायर अटक आवेदन (ओ.ए.) पर सम्मन / नोटिस जारी करता है। एक्ट के संवर्धन 19 के सब संवर्धन (4) के अनुसार, आप प्रतियोगी को निम्न अनुबद्ध निर्देशित किया जाता है।

(1) सम्मन प्राप्त होने के तीस दिन में कारण बताये कि प्रार्थना की गयी राहत क्यों नहीं दी जाये।  
(2) आवेदक द्वारा मूल आवेदन में क्रम संख्या 3ए के तहत वर्णित सम्प्रतियों तथा परिसम्प्रतियों के अतिरिक्त अन्य सम्प्रतियों अथवा परिसम्प्रतियों के विवरण प्रकट करें।  
(3) सम्प्रतियों की कुर्की के लिये किये गये आवेदन की सुनवाई तथा निस्तारण के लियत रहते सिक्वोर्ड सम्प्रतियों अथवा मूल आवेदन में क्रम संख्या 3ए के तहत वर्णित अन्य परिसम्प्रतियों तथा सम्प्रतियों का लेन-देन अथवा विक्री करने से आप प्रतिबन्धित हैं।  
(4) किसी भी परिसम्प्रति जिन पर सिक्वोर्ड हित बन चुका है, तथा/अथवा मूल आवेदन में क्रम संख्या 3ए के तहत वर्णित अथवा प्रकट अन्य परिसम्प्रतियों तथा सम्प्रतियों को आप व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के अलावा, विक्री, लीज अथवा अन्य प्रकार से प्राधीकरण की पूर्व अनुमति के बिना, ट्रांसफर नहीं करेंगे।  
(5) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में सिक्वोर्ड परिसम्प्रतियों अथवा अन्य परिसम्प्रतियों तथा सम्प्रतियों विक्री के लिये तथा ऐसी विक्री राशी को ऐसी परिसम्प्रतियों पर सिक्वोर्ड हित रखने वाले बैंक अथवा वित्तीय संस्थान के खाते में जमा करने के लिये आप उत्तरदायी होंगे।  
(6) आपको निर्देशित किया जाता है कि लिखित जवाब दायर करें व उसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध करें तथा रजिस्ट्रार के समक्ष 24.03.2024 को प्रातः 10.30 बजे उपस्थित हों, अन्यथा आवेदन आपकी अनुपस्थिति में चुना जायेगा व निर्णय किया जायेगा।  
इस प्राधीकरण की सील तथा मेरे द्वारा इस तिथि 05.12.2023 को जारी किया गया।

रजिस्ट्रार  
ऋण वसूली प्राधीकरण, जयपुर

विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीणों को कर रही लाभान्वित : पटेल

पावटा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गुरुवार को पावटा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भोनावास व टसकोला में कोटपुतली बहरोड़ जिला कलेक्टर शुभम चौधरी, कोटपुतली विधानसभा क्षेत्रीय विधायक हंसराज पटेल, उपखंड अधिकारी बी एल स्वामी के निर्देश एवं ग्राम पंचायत भोनावास सरपंच रेवती कंवर व टसकोला सरपंच श्रवण देवी की अध्यक्षता में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान भारत सरकार द्वारा



विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के दौरान जिला कलेक्टर ने लाभान्वितों को योजनाओं का लाभ दिया।

शिविर में विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी

संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का अंतिम छोर तक प्रचार-प्रसार एवं पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोदी की गार्ंटी नाम से लोकप्रिय आईईसी वैन का ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत भोनावास व टसकोला में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इसी दौरान कोटपुतली बहरोड़ जिला कलेक्टर शुभम चौधरी, कोटपुतली विधानसभा क्षेत्रीय विधायक हंसराज

पटेल, उपखंड अधिकारी बी एल स्वामी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित होने वाले शिविरों में आमजन आयुष्यमान भारत योजना सहित 17 जनकल्याणकारी

योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। कोटपुतली विधानसभा क्षेत्रीय विधायक हंसराज पटेल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत वंचित वर्ग प्रधानमंत्री आवास योजना, वीएम उज्ज्वला योजना तथा किसानों को मुज्य स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री किसान समान निधि योजना आदि में पंजीकरण के माध्यम से

लाभान्वित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के गांव-गांव में जाकर आमजन को केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक एवं लाभान्वित कर रही है। इस दौरान जिला कलेक्टर शुभम चौधरी, उपखंड अधिकारी बी एल स्वामी जिला कलेक्टर ने आमजन को विकसित भारत की रापथ दिखाई।